सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 19,शुक्रवार, शाके 1944-मार्च *10,* 2023 *Phalguna 19, Friday , Saka 1944- March 10, 2023*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 8, 2023

No. F. 2(21)Vidhi/2/2022.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 3rd day of March, 2023 is hereby published for general information:-

THE NATHDWARA TEMPLE (AMENDMENT) ACT, 2022

(Act No. 2 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 3rd day of March, 2023)

An

Act

further to amend the Nathdwara Temple Act, 1959.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Nathdwara Temple (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 13 of 1959.- In clause (d) of sub-section (2) of section 5 of the Nathdwara Temple Act, 1959 (Act No. 13 of 1959), the existing expression "or a deaf-mute or suffering from leprosy" shall be deleted.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 8, 2023

संख्या प.2(21)विधि/2/2022.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी नाथद्वारा टेम्पल (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2022 (एक्ट नं. 2 ऑफ 2023)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2023 का अधिनियम संख्यांक 2)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 मार्च, 2023 को प्राप्त हुई)

नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 5 का संशोधन.- नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं.13), की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''या बहरा-गूंगा हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो'' को हटाया जायेगा।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।